



F- 42(504)/NHM/H&WC/ 2020-21/ 1237

दिनांक: - 14/12/21

आदेश

विभाग द्वारा राज्य के 164 (राजकीय एवं निजी) नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में आदेश क्रमांक 1036 दिनांक 15.09.2021 के द्वारा सीएचओ अभ्यर्थियों को Bridge Programme Certificate Course in Community Health for Nurse (BPCCHN) ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है। वर्तमान में उक्त अभ्यर्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण करवाया जाना है।

इस हेतु सीएचओ अभ्यर्थियों को सभी संस्थान जैसे District Hospital, CHC, PHC एवं Sub Center पर निःशुल्क प्रायोगिक प्रशिक्षण करवाये जाने के लिए अनुमत किया जाता है।

(विभव गालरिया)
शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0 क0
राजस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार।
3. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, चिकि. स्वा. एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निदेशक, जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान।
5. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, समस्त मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. अधीक्षक, समस्त संबद्ध चिकित्सालय, राजस्थान।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
8. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) कौर्डिनेटर जयपुर।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
11. सर्वर प्रभारी कक्ष को सम्बन्धित को ई-मेल एवं वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

९

(अरुना राजोरिया)

मिशन निदेशक, एनएचएम एवं
विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0 क0